

## GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA - BILASPUR CHATTISGARH




E-Receipt For Allahabad Bank Collect Payment Date: 2020-08-21T22:18				
Reference Number	938602108201015675			
Receipt Number	QF0821221857461393			
Category Name	Online Fee Form			
Name	UDITA MALIK			
Father_Name	UDAY CHANDRA MALIK			
Fee Description	FEES FOR ADMISSION TO PhD COURSE FOR SESSION 2019-2020 IN SLT INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES GGV BILASPUR			
Mobile Number- Whatsapp No	7602699006			
Email_ID	udita.tuaa@gmail.com			
Amount to Pay	13950			
Payment Mode	Net Banking			
Total Amount of Fees	Rs. 13950.0			
Payment Status	SUCCESS			
Payment Status Print	SUCCESS			

## **Terms & Condition**

- An E-Receipt is an electronic document with a unique confirmation number given to remitter in place of a paper receipt
- For details, rules and terms & conditions of E-Receipt, please visit <u>www.sabpaisa.in.</u>
- Payers are advised to carry transaction e-reciept for future reference
- When you register with above college/bank/, we or any of our partners/affiliate/staff may contact you from time to time to provide the details/information of such payments/services that we believe may benefit you.

© COPYRIGHT 2016. Powered by SRS Live Technologies Pvt Ltd.



क...24.0/ अका. / शोध / फार्मेसी / 2021

बिलासपुर, दिनॉक 26/10/21

प्रति,

Udita Malik (Research Scholar) Department of Pharmacy Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) (पंजीकृतडाक द्वारा)

विषयः– यू.जी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 30.09.2021 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) फार्मेसी अध्ययनशाला–प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:--

शोध का विषय शीर्षक	शोध निर्देशक		
DESIGN, SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVA SOME NOVEL ISOXAZOLE DERIVATIVES	Dr.Dilip Kumar Pal, Associate Professor, Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)		
शोध केन्द्र	पंजीयनकमॉक	पंजीयनतिथि	नामांकनकमॉक
Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Bilaspur (C.G.)	195261505	30.09.2021	GGV/19/6408

1 आप यू.जी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 केअनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक / RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्रां हुआ तो शोध–पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

कमशः

- यह पंजीयन छःवर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 अधीन रहेगा ।
- शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/-(परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
  - शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा । शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम–2018 के अधीन होगा । अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम–2018 के प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें ।

## कमांक 241/अका0/शोध/फार्मेसी/2021

प्रतिलिपिः–

2

4.

- 1 शोध निर्देशक—डॉ०, दिलीप कुमार पाल, सहा—प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ०ग० को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें । विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- 2 विभागाध्यक्ष, फार्मेसी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0 ग0 की ओर सूचनार्थ।
- अहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
  ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- 5 समन्वयक (आईटी सेल) की ओर वेब पटल पर अपलोड करने हेतू प्रेषित।
- 6 संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसचिव(अका.) गुरू घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव(अका.)

बिलासपुर, दिनॉक 26/10/21

-2-